मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 931/मा०अनु०जोन-सी/20 दिनांक : 14-12-2020

पूर्णता प्रमाण पत्र

मै0 शिव दुलारी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री राहुल रस्तौगी पुत्र श्री भीम सैन रस्तौगी, निवासी–सी–1 व सी–2, मॉडल टाउन, कंकरखेडा, मेरठ के आवेदन संख्या–CC20200610160633187 दिनांक 10.06.2020 के माध्यम से खसरा संख्या–306/1, 306/2,307, 310, 311/3, 311/4, 311/5, 314/1, 319/1, 320/2, 321, 322, 323/1 ग्राम डूंगरावली, बाईपास रोड़, मेरठ के क्षेत्रफल 40448.00 वर्ग मी0 कुल नेट क्षेत्रफल 18310.00 वर्ग मी0 पर निर्मित ओलिव ग्रीन सिटी कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–13/11 का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांक 28.11.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15क (2) के अनुसार कालोनी के आंतरिक विकास कार्यो को पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है:–

1. जब तक कालोनी नगर निगम/आर.डब्लू.ए. को हस्तांतरित नही की जाती है, तब तक विकासकर्ता को कालोनी में किये गये विकास कार्यो का रख–रखाव स्वंय करना होगा।
2. पार्को तथा खुले स्थानों को विक्रय नही किया जायेगा।
3. नाली तथा सीवर की नियमित सफाई की जायेगी।
4. कूडे का निस्तारण एम.एस.डब्लू. रूल्स, 2016 के अनुरूप किया जायेगा।
5. आन्तरिक विकास कार्यो के सापेक्ष बंधक रखे गये भूखण्ड संख्या–1, 18, 31, 32, 48, 49, 50, 52, 65, 66 व 67 कुल 11 भूखण्डों में से एक भूखण्ड संख्या–17 कालोनी नगर निगम/आर.डब्लू.ए. को हस्तांतरित होने तक बंधक ही रहेगा।
6. स्वीकृत तलपट मानचित्र में अंकित शर्तो एवं विभिनन विभागों द्वारा दी गयी अनापत्तियों में उल्लेखित शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।
7. भविष्य में यदि प्राधिकरण की कोई देयता है, तो मांगे जाने पर जमा की जानी होगी।

संलग्नक:– मानचित्र की प्रति।

Received
14/12/20

14/12/2020
प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
O/c मेरठ।